

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

इण्डियन बैंक बनाम गैसर्स अहाना डेयरी एल एल पी

प्रकरण संख्या 382 /2022 ( धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
15.11.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी बैंक की ओर से धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसके समर्थन में बन्धक सम्पत्ति के दस्तावेज अधूरे पेश किये गये हैं।</p> <p>अतः प्रार्थी बैंक की ओर से धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय बैंक बाद पूर्ति नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"><sup>५०</sup> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	